बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

संख्या–4 / वन भूमि–70 / 2025............................./प०व०ज०प० **पटना–15, दिनांक** :...............

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका WP(C) No.- 202/1995: T.N. Godavarman बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 12.12.1996 को पारित आदेश तथा याचिका WP(C) No.- 1164/2023 : Ashok Kumar Sharma, IFS (Retired) and others बनाम भारत संघ एवं अन्य में 19.02.2024 एवं 04.03.2025 को पारित आदेशों के अनुपालन हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :–

1.	अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना	अध्यक्ष
2.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), बिहार, पटना	सदस्य
3.	अध्यक्ष, बिहार जैव विविधता पर्षद, बिहार, पटना	सदस्य
4.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह– मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना	सदस्य
5.	प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि	सदस्य
6.	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि	सदस्य
7.	विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के संयुक्त सचिव से अन्यून	सदस्य
8.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह– नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना	सदस्य सचिव

समिति का दायित्व एवं कर्त्तव्य :

(i) स्वामित्व पर ध्यान दिए बिना वन की तरह दिखने वाली भूमियों, चाहे वे वन भूमि के रुप में किसी अधिनियम / नियम के तहत अधिसूचित / चिन्हित / वर्गीकृत हैं अथवा नहीं, की पहचान करना;

(ii) ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना जो पूर्व में वन थे परन्तु वर्तमान में अवकृष्ट (degraded), वन विहीन (denuded), अथवा वनस्पति विहीन (Cleared) हैं, एवं

(iii) सरकार अथवा निजी व्यक्ति के स्वामित्व वाले वृक्षारोपण से आच्छादित क्षेत्रों की पहचान।

विशेषज्ञ समिति; पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को समर्पित किए जाने के निमित सभी श्रेणी के वनों की एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह० / –

(अभय कुमार)

वन संरक्षक–सह–विशेष सचिव

Hindi Notification_13-05-2025

ज्ञापांक– 4 / वन भूमि–70 / 2025....................../ प०व०ज०प०   पटना–15, दिनांक :................

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना / प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), बिहार, पटना / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना / अध्यक्ष, बिहार जैव विविधता पर्षद, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० / –

(अभय कुमार)

वन संरक्षक–सह– विशेष सचिव

ज्ञापांक– 4 / वन भूमि–70 / 2025...2442.../ प०व०ज०प०   **पटना–15, दिनांक** :..19/5/25

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना / आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

19/05/25

(अभय कुमार)

वन संरक्षक–सह–विशेष सचिव